110

न्यायालय श्रीमान राजस्व बोर्ड न्यायालय ग्वालियर, (म0प्र0)

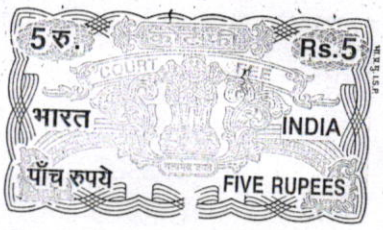

II/निगरानी/सतना/भू.रा/2018/2002

लक्ष्मी नारायण गुप्ता तनय श्री मोहनलाल गुप्ता आयु 55 वर्ष पेशा व्यापार, निवासी टिकुरिया टोला सतना तह0 रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0 .... **निगराकार**

बनाम

1. गायत्री देवी कुशवाहा पत्नी श्री सुरेश चन्द्र कुशवाहा उम्र 50 वर्ष पेशा गृह कार्य, साकिन डिलौरा टिकुरिया टोला सतना, तह0 रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0
2. श्रीमती राधा कुशवाहा पत्नी श्री पंचूलाल कुशवाहा उम्र 52 वर्ष पेशा गृह कार्य साकिन टिकुरिया टोला सतना, तह0 रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0
3. अरूण कुशवाहा उम्र 42 वर्ष, पेशा व्यापार
4. रविकांत कुशवाहा उम्र 40 वर्ष, पेशा व्यापार
5. देवकांत कुशवाहा उम्र 38 वर्ष, पेशा व्यापार
6. आशीष कुशवाहा उम्र 36 वर्ष, पेशा व्यापार चारों के पिता प्रेमचन्द्र कुशवाहा निवासी टिकुरिया टोला सतना म0प्र0
7. म0प्र0 राज्य द्वारा हल्का पटवारी डिलौरा, तह0 रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0 ....**गैरनिगराकारगण**

निगरानी विरुद्ध राजस्व निरीक्षक मंडल सतना

26.3.18

20/3/2018

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो / निगरानी / सतना / भूरा. / 2018 / 02002

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआ दि के हस्ताक्षर
19–4–18	आवेदक अधिवक्ता श्री ए0 के0 पाठक उपस्थित होकर यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना के प्रकरण कमांक 148 / अ–12 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 30.09.2017 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। आवेदक द्वारा निगरानी मेमों के साथ धारा–5 का आवेदन मय शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है। 2–प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक–1 गायत्री देवी कुशवाह पत्नी सुरेश चन्द्र कुशवाह ने ग्राम डिलौरा की आराजी कमांक 124 / 1ब रकवा 0.006 है0 आराजी कमांक 124 / 2 रकवा 0.028 है0 के सीमांकन हेतु राजस्व निरीक्षक मण्डल सतना तहसील रघुराजनगर जिला के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आवेदन प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार तहसील रघुराजनगर जिला सतना के पत्र कमांक 1315 दिनांक 20.7.17 के द्वारा दल गठित कर सदस्यों द्वारा दिनांक 30.9.17 को सीमांकन किया इसी से दुखित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि क्या तहसीलदार तहसील रघुराजनगर जिला सतना के द्वारा जारी आदेश दिनांक 29.7.17 राजस्व निरीक्षक मण्डल सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना	

का राजस्व प्रकरण कमांक 148/अ–12/2016–17 राजस्व निरीक्षक मण्डल द्वारा विधि अनुसारसंसिति प्रकरण माना जा सकता है क्यों कि उक्त आदेश में राजस्व निरीक्षक मण्डल सतना के द्वारा हस्ताक्षरित आदेश नहीं है और ना ही तहसीलदार तहसील रघुराजनगर को राजस्व निरीक्षक मण्डल के अधिकार ही प्रत्यायोजित किये गये हैं। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि 1.9.17 के सूचना पत्र में सरहददी कास्तकारों को सूचति किया गया है? क्यों कि सरहददी कास्तकार स्वयं आवेदिका है। और सतेन्द्र गुप्ता के हस्ताक्षर हैं। सतेन्द्र गुप्ता की किस नबंर की आराजी के अनुसार वह सरहददी कास्तकार हैं। सूचना पत्र में लोटन कुश्वाहा का नाम लिखा गया है किन्तु हस्ताक्षर नरेश कुमार के बने हुये हैं इस प्रकार यह विवरण भी उपलब्ध नहीं है कि सूचना पत्र के के नाम पर पटवारी हल्का 70 के हस्ताक्षर व राजस्व निरीक्षक सतना योगेश तिवारी के हस्ताक्षर तथा राजस्व निरीक्षक के हस्ताक्षर हैं। तर्क में यह भी कहा गया है कि क्या राजस्व निरीक्षक मणल इन तीन व्यक्तियों के हस्ताक्षर से पूरा हा रहा है या ऐसी स्थिति में किया गया सीमांकन अवैध व शून्य है। राजस्व निरीक्षक मण्डल द्वारा दिया गया प्रतिवेदन केवल दो आराजी पर आधारित है। आवेदन पत्र व सूचना पत्र में अंकित आराजी 125/2/1 का कोई जिक नहीं हैं क्या ऐसी स्थिति में किया गया सीमांकन वैध हो सकता है? आवेदक अधिवक्ता द्वारा अंत में अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 30.9.17 निरस्त करने का अनुरोध किया

गया है।

4– आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। आवेदक अधिक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी में दर्शित किया गया है। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा निगरानी मेमों के साथ धारा –5 का आवेदन प्रस्तुत किया गया है उसमें दर्शाये तथ्यों से स्पष्ट है कि आदेश की जानकारी नहीं हुई थी इसलिये निगरानी में विलंब हुआ है और उनके द्वारा आवेदन धारा–5 का प्रस्तुत किया गया है वह समाधान कारक होने से स्वीकार किया जाता है।

5–प्रकरण का अध्ययन करने से पाता हूँ कि दिनांक 1.9.17 को सूचना पत्र जारी किया गया है उसमें 1 से 5 व्यक्तियों को सूचना दी गई है जिनके नाम निम्न प्रकार है:– गायत्री देवी कुश्वाह, राजेन्द्र कुश्वाह, कृष्णकुमार गुप्ता, सतेन्द्र गुप्ता, लोटन कुश्वाह आदि के नाम अंकित है, गायत्री के हस्ताक्षर बने हुये हैं राजेन्द्र कुश्वाह के लाइन खीची गई है उसमें किसी के हस्ताक्षर नहीं है, इसी प्रकार कृष्ण कुमार गुप्ता के नाम के सामने लाईन खीची गई है उसमें किसी के भी हस्ताक्षर नहीं है, सतेन्द्र गुप्ता के हस्ताक्षर बने हुये हैं, लोटन कुश्वाह के सामने नरेश कुमार के हस्ताक्षर बने हुये हैं, इससे यह तो स्पष्ट है कि सरहदद्ी कास्तकारों को नियमानुसार सूचना नहीं हुई है। इसी प्रकार स्थल पंचनामा का अवलोकन किया गया उसमें सरहदद्ी कास्तकारों के भी हस्ताक्षर नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि सरहदद्ी कास्तकारों को सूचना

नहीं दी गई है और न ही धारा–129 का पालन नहीं किया गया है। ''यद्यपि म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129. सर्वेक्षण संख्यांक या उपखंड या भू–खंड संख्यांक का सीमांकन– (1) तहसीलदार या कोई अन्य राजस्व अधिकारी जो कार्य करने के लिए सशक्त हो, किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर किसी सर्वेक्षण संख्यांक की या उपखंड या भू–खंड संख्यांक की सीमाओं का सीमांकन कर सकेगा और उस पर सीमा चिन्ह सन्निर्मित कर सकेगा। फील्डबुक पर सीमांकित भूमि के सरहदी कास्तकारों के रकबा सहित उनके भूमिस्वामियों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है तथा सीमांकित भूमि के कौन–कौन भूमिस्वामी हैं, उनके हस्ताक्षर हैं, यह स्पष्ट नहीं है। 1996 आर एन 357 गीताशर्मा विरूद्ध म0प्र0 राज्य (उच्च न्यायालय) में निम्नलिखित न्यायदृष्टांत प्रतिपादित किया गया है–

''म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 129 – समीपस्थ सर्वेक्षण संख्यांक का सीमांकन अपने हित के संरक्षण के लिए समीपस्थ सर्वेक्षण संख्यांक का स्वामी उचित पक्षकार है। 1995 (2) म0प्र0 वीक्ली नोट्स 58 तथा 1992 (1) म0प्र0 वीक्ली नोट्स 159 (उच्चतम न्यायालय) अवलंबित।''

इसी प्रकार 1998 आर एन 106 (उच्च न्याया0) में यह न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि – ''सीमांकन हितबद्ध पक्षकार की उपस्थिति में किया जाना चाहिए।''

स्पष्ट है कि सीमांकित भूमि का सरहदी कृषक प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार होता है। इसके अतिरिक्त 2006 आर एन 218 गजराज

सिंह विरूद्ध रामसिंह (उच्च न्यायालय) में निम्नलिखित न्यायदृष्टांत प्रतिपादित किये गये हैं –

"म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 129 – सीमांकन– विवादित सर्वेक्षण संख्यांक की पूर्णतया माप नहीं की गई–– निकट के सर्वेक्षण संख्यांक की माप नहीं की गई––कोई पैमाना प्रयुक्त नहीं किया गया––एक–भी साक्षी नामित नहीं––राजस्व निरीक्षक द्वारा भूलें की गई और स्वीकार की गई––ऐसा सीमांकन स्वीकार नहीं किया जा सकता जिसमें दूसरा पक्ष सूचित भी नहीं किया गया हो।"

1988 आर एन 105 में इस न्यायालय द्वारा भी यही अभिमत व्यक्त किया गया है कि सीमांकन से लगी हुई भूमि के भूमिस्वामी को सूचना किए बिना नहीं किया जा सकता।

माननीय उच्च न्यायालय एवं इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में यह निर्विवादित है कि सीमांकन हेतु प्राप्त आवेदन पर निम्नानुसार प्रकिया अपनाई जाना न्यायसंगत होगा–

1. सीमांकित भूमि के सरहदी कास्तकार की भूमि का नक्शा प्राप्त करना,

2. सीमांकित भूमि के सरहदी कास्तकारों/हितबद्ध पक्षकार को विधिवत व्यक्तिशः सीमांकन की पूर्व विहित की गई प्रकिया के अनुसार सूचना दी जानी चाहिए। सूचना पत्र के निर्वहन के लिए अनुसूची –1 केनियम 11 से 14 में विहित प्रकिया के अनुसार सूचना देना,

यह भी प्रासांगिक है कि हितबद्ध पक्षकार से आशय ऐसे व्यक्ति से होगा, जैसा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2016 आर एन 185 बाबा ज्ञानदास विरूद्ध तहसीलदार इंदापुर तथा एक अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है–

" भू– राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 129– उपबंध के अधीन कार्यवाही – से अभिप्रेत – भूमिस्वामी या कोई व्यक्ति जो भूमि में विधिक अधिकार रखता है – हितबद्ध व्यक्ति है – व्यक्ति जो मात्र कब्जा होने का दावा करता है – हितबद्ध पक्षकार होना नहीं माना जा सकता – ऐसे व्यक्ति को सीमांकन कार्यवाहितयों में आपत्ति करने का अधिकार नहीं।

3. सीमांकन के समय स्थल पंचनामा पर सरहदी कास्तकारों एवं गवाहों के स्पष्ट हस्ताक्षर नाम सहित,

4. रूढिवादी सीमांकन पद्धति (जरीब द्वारा) के अतिरिक्त सेटेलाईट से उपलब्धता के आधार पर विधिवत सीमांकित भूमि की माप कर सीमांए समझाना,

5. सीमांकन पश्चात फील्डबुक तैयार करना,

6. सीमांकन के समय यदि कोई आपत्ति प्राप्त हुई हो तो उसका मौके पर निराकरण करना,

7. सीमांकन में यदि कोई आपत्ति प्राप्त न हुई हो तो विधिवत सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना,

8. सीमांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उक्त सीमांकन प्रतिवेदन पर तहसीलदार द्वारा एक अवसर सहमति/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु

आवश्यक रूप से हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान करते हुये उसका विश्लेषण कर, विधिवत सीमांकन का अंतिम आदेश पारित करना। 2014 आर एन 69 बद्री प्रसाद विरूद्ध रामप्रसाद जाटव में राजस्व मण्डल द्वारा यही अभिमत व्यक्ति किया है कि सटे हुए कृषकों को सूचना के साथ–साथ सीमांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये। इससे स्पष्ट है कि सरहददी कास्तकारों को नियमानुसार सूचना नहीं होने के कारण राजस्व निरीक्षक मण्डल सतना का आदेश दिनांक 30.9.17 स्थिर रखने योग्य नहीं है।

6–उपरोक्त विवेचना के आधार राजस्व निरीक्षक मण्डल सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना के प्रकरण कमांक 148/अ–12/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 30.09.2017 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि सरहददी कास्ताकारों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में बने प्रावधानों के अंतर्गत नियमों का पालन करते हुये आदेश पारित करें। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी आशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य